संख्या-579/2025/3239/22-2-2022-17(1520)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र यादव पुत्र श्री सन्तराम यादव, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-29945/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-04.08.2022) दिनांक-20.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र यादव पुत्र श्री सन्तराम यादव, ग्राम-बगौहा, थाना-शोहरत गढ, जनपद-सिद्धार्थनगर का निवासी है। गाय द्वारा धान का बीया चरने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.07.2002 को बन्दी ने श्रीमती दुरपती देवी उम्र लगभग 70 वर्ष के साथ बलात्कार किया तथा उसके गुप्तांग में डन्डा डालकर घोती के ऑचल से गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-240/2002 में भा0द0वि0 की धारा-376, 302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी-02, सिद्धार्थनगर के आदेश दिनांक 22.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक-26.07.2022 तक अपरिहार 20 वर्ष, 00 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 05 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के रिहा होने के बाद पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि गाय द्वारा धान का बीया चरने के विवाद में दिनांक 13.07.2002 को बन्दी ने श्रीमती दुरपती देवी उम्र लगभग 70 वर्ष की वृद्ध महिला के साथ बलात्कार कर गुप्तांग में डन्डा डाल कर घोती के ऑचल से गला दबाकर हत्या करने का निर्मम व जघन्यतम अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र यादव पुत्र सन्तराम यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र यादव (बन्दी संख्या-44434) पुत्र श्री सन्तराम यादव, निवासी जनपद-सिद्धार्थनगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-579/2025/3239(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-579/2025/3239/22-2-2022-17(1520)/2022

दिनांक 19 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र यादव पुत्र श्री सन्तराम यादव, ग्राम-बगौहा, थाना-शोहरत गढ, जनपद-सिद्धार्थनगर का निवासी है। गाय द्वारा धान का बीया चरने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.07.2002 को बन्दी ने श्रीमती दुरपती देवी उम्र लगभग 70 वर्ष के साथ बलात्कार किया तथा उसके गुप्तांग में डन्डा डालकर घोती के ऑचल से गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-240/2002 में भा0द0वि0 की धारा-376, 302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी-02, सिद्धार्थनगर के आदेश दिनांक 22.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया।, बन्दी द्वारा दिनांक-26.07.2022 तक अपरिहार 20 वर्ष, 00 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 05 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के रिहा होने के बाद पुनः अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि गाय द्वारा धान का बीया चरने के विवाद में दिनांक 13.07.2002 को बन्दी ने श्रीमती दुरपती देवी उम्र लगभग 70 वर्ष की वृद्ध महिला के साथ बलात्कार कर गुप्तांग में डन्डा डाल कर घोती के ऑचल से गला दबाकर हत्या करने का निर्मम व जघन्यतम अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेन्द्र यादव पुत्र सन्तराम यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।